# The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Act, 1979

Act 35 of 1979

Keyword(s):
Motor Vehicles Act, Minimum Wages Act, Factories Act, Police Act, Public Gambling, Offences, Criminal Trials

Amendments appended: 29 of 2016, 9 of 2018, 21 of 2019, 4 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या--702 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-


# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1,--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 1979
अग्रहायण 30, 1901 शक सम्वत्


उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 3378/सत्रह-वि-1-37-78
लखनऊ, 21 दिसम्बर, 1979

अधिसूचना

**विविध**

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश दण्ड विविध (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दण्ड विचारण का उपशमन करने का उपबन्ध करने के उद्देश्य से, मोटर यान अधिनियम, 1939, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948, पुलिस अधिनियम, 1861 और सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 का (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) और उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 में नई धारा 131-ख का बढ़ाया जाना

2—मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"131—ख (1) इस अध्याय (धारा 116, 117, 118-क, 123 और 123-क को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हों तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 में नई धारा 22-गग का बढ़ाया जाना

3—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, धारा 22-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"22-गग—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो, शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर, द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 में नई धारा 106-क का बढ़ाया जाना

4—कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय 10 में, धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"106-क—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा;

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का शमन

"34-क—धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का शमन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करन पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाये, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 3 सन् 1867 में नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6—सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्—

"14-क—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा :

परन्तु इस धारा में निहित किसी बात से ऐसे अपराधी द्वारा, जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कभी सिद्ध दोष किया गया हो, किये गये किसी अनुवर्ती अपराध का शमन करने का प्राधिकार नहीं होगा।"

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 564 का संशोधन

7—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 564 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ-दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन निर्देशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 36 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 36 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत अर्थ दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

कतिपय विचारण का उपशमन

9—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :—

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उप शमन हो जायेगा।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

---

No. 3378 (2)/XVII-V-1-37-38

*Dated Lucknow, December 21, 1979*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon Ka Shaman Aur Vicharano Ka Upashaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 18, 1979.

## THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT NO. 35 OF 1979)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, the Minimum Wages Act, 1948, the Factories Act, 1948, the Police Act, 1861 and the Public Gambling Act, 1867 (in their application to Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 with a view to provide for the composition of certain offences and abatement of certain criminal trials.*

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

**Short title and extent**

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

**Insertion of new section 131-B in Act no. 4 of 1939.**

2. *After* section 131-A of the Motor Vehicles Act, 1939, the following section shall be *inserted*, namely :—

"131-B. (1) Any offence punishable under this Chapter (excluding sections 116, 117, 118-A, 123 and 123-A) may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded either before or after the institution of the prosecution, by an officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

**Compounding of offences.**

(2) Where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 22-CC, in Act no. 11 of 1948.

3. In the Minimum Wages Act, 1948, *after* section 22-C, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of Offences.

"22-CC. An Officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 106-A in Act no. 63 of 1948.

4. In Chapter X of the Factories Act, 1948, *after* section 106, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"106-A. The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf compound any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 34-A of Act no. 5 of 1861.

5. *For* section 34-A of the Police Act, 1861, the following section shall be *substituted*, namely :—

Compounding of offences under sections 32 and 34.

"34-A. An offence punishable under section 32 or section 34 may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by the District Superintendent of Police, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and when the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 14-A in Act no. 3 of 1867.

6. *After* section 14 of the Public Gambling Act, 1867, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"14-A An officer specially empowered in this behalf by the State Government by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Provided that nothing contained in this section shall authorise the composition of any subsequent offence committed by an offender who has once been convicted for any offence punishable under this Act."

Amendment of section 564 of U. P. Act no. 2 of 1959.

7. In section 564 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *for* clause (*b*), the following shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, or rules, bye-laws or regulations made thereunder, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded :—

(i) before the institution of the prosecution ; the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 36 of U. P. Act no. 26 of 1962.

8. In section 36 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The Chief Inspector may, subject to any general or special order the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Abatement of certain trials.

9. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

(1) the trial of an accused for—

(*a*) an offence punishable under—

(i) the Motor Vehicles Act, 1939 ; or

(ii) the Public Gambling Act, 1867, not being an offence punishable under section 3 of that Act or an offence in respect of wagering punishable under section 13 of that Act ; or

(iii) section 34 of the Police Act, 1861 ; or

(iv) section 160 of the Indian Penal Code, 1860 ; or

(*b*) any other offence punishable with fine only, or

(2) a proceeding under section 107 or section 109 of the Code of Criminal Procedure, 1973, pending before a Magistrate on the date of commencement of this Act from before January 1, 1977 shall abate.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 262 सा० (विधा०)—21-12-79—(3048)—1979—800 (मे०)

क्रम-संख्या–196

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 19 सितम्बर, 2016**

भाद्रपद 28, 1938 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1336/79-वि-1–16-1(क)17-2016
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988; या";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "1 जनवरी, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" रख दिये जायेंगे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979) को, कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिये कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1977 से दिनांक 1 जनवरी, 2013 तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि को बढ़ाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

---

No. 1336(2)/LXXIX-V-1--16-1(ka)17-2016
*Dated Lucknow, September* 19, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 2016.

## THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 29 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh criminal law (Composition of offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979,-

(a) in sub-section (1), in clause (a) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :-

" (i) the Motor Vehicles Act, 1988; or";

(b) in sub-section (2), for the word and figures "January 1, 1977" the word and figures "January 1, 2013" shall be *substituted*.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recomandation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain Proceedings pending before a Magistrate from January 1, 1977 to January 1, 2013.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 407 राजपत्र (हि0)–2016–(972)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 99 सा0 विधायी–2016–(973)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या--11

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०--

डब्लू०/एन०पी०--91/2014--16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018**

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2729/79-वि-1--17-1(क) 31-17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

## उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2015" रख दिये जायेंगे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि 1 जनवरी, 2013 को 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

---

No. 2729(2)/LXXIX-V–1–17-1(ka) 31-17

*Dated Lucknow, January* 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

## THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act No. 9 of 2018)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act,* 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 in sub-section (2) *for* the word and figures "January 1, 2013" the word and figures "December 31, 2015" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments of provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain proceedings pending before a Magistrate from January 1, 2013 to December 31, 2015.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 791 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2491)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 152 सा0 विधायी–2018–(2492)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

क्रम-संख्या–263

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019**

**पौष 6, 1941 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2240/79-वि-1–19-1(क)-18-19

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उप धारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2015" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2016" रख दिये जायेंगे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन का उपबंध करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 को 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

---

No. 2240(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)-18-19

*Dated Lucknow, December* 27, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon Ka Upshaman) (Sansodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2019. The Griha (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRAILS) (AMENDMENT) ACT, 2019

(U.P. Act no. 21 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trails)(amendment) Act, 1979.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1)This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2) *for* the word and figures "December 31, 2015" the word and figures "December 31, 2016" shall be *substituted*.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain proceedings pending before a Magistrate from December 31, 2015 to December 31, 2016.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 492 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(1245)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 107 सा0 विधायी–2019–(1246)–300 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–144(क–7)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023**

**श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 421/79-वि-1–2023-1-क-4-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2016" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2021" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3--(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन, (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

# उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दाण्डिक विचारणों के उपशमन का उपबन्ध करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 कतिपय केंद्रीय अधिनियमितियों के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किसी अभियुक्त के विचारण को उपशमित करने तथा एक निश्चित दिनांक से पूर्व लंबित कतिपय कार्यवाहियों के शमन करने हेतु उपबंध करती है। उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019) द्वारा उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया। यदि पूर्वोक्त दिनांक आगे बढ़ाया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय न्यायालयों में लम्बित बड़ी संख्या में वादों के निस्तारण की सम्भावना है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करने हेतु किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या कतिपय विचारणों के उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का **उपशमन) (संशोधन)** अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 421(2)/LXXIX-V-1–2023-1-ka-4-2023

*Dated Lucknow, August* 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon ka Shaman aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 2023. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) Act, 2023

(U.P. Act no. 4 of 2023)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act,* 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 22nd March, 2023.

Amendment of Ssection 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 2016" the word and figures "December 31, 2021" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 2 of 2023

3. (1) The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials.

Section 9 of the aforesaid Act provides for abatement of trial of an accused for offences punishable under certain Central enactments and for abatement of certain proceedings pending before a certain date. The said section has been amended from time to time to change the period/date before which the aforesaid trials/proceedings can be abated. The aforesaid period of abatement was extended up to December 31, 2016 *vide* the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 21 of 2019). There is a possibility of disposal of larger number of cases pending in the Hon'ble Courts of the State of Uttar Pradesh if the aforesaid date is further extended.

In view of the above, it has been decided to amend section 9 of the aforesaid Act to extend the aforesaid period for abatement of certain trials or proceedings pending before a Magistrate to December 31, 2021.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 2 of 2023) was promulgated by the Governor on 22nd March, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 516 राजपत्र–2023–(1653)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 85 सा0 विधायी–2023–(1654)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

516 RPH Adhiniyam folder (vidhaika- 2023)-data 8e